

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, झोपाल
:: आदेश ::


झोपाल दिनांक 22/06/2019

क्र. एफ 16 -14/2019/ए-ज्यारहः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेरसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. द्वारा ग्राम-ग्रामावाद, तहसील-हटा, जिला- दमोह में लगभग रूपये 1400 करोड़ के स्थाई पूँजी निवेश से 2.20 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट स्थापना हेतु प्रस्ताव को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर निर्मित होने व परियोजना के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थापित होने के उष्टिगत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संबंधन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन दिया जावे।
2. विद्युत शुल्क से छूट - ऊर्जा विभाग की प्रचलित नीति अनुसार विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. विद्युत टैरिफ में रियायत - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार विद्युत टैरिफ में रियायत दी जावे।
4. स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क से प्रतिपूर्ति - कंपनी द्वारा प्रस्ताव अनुसार प्लांट एवं माईनिंग क्षेत्र हेतु चिन्हित क्रय/लीज भूमि पर देय स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 समान वार्षिक किश्तों में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।
5. भूमि अधिग्रहण - कम्पनी को भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा एक निश्चित समयावधि में किया जावे।
6. कंपनी को सिंगल विण्डो प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक अनुमतियां एवं स्वीकृतियां हेतु फेसिलिटेशन प्रदान किया जावे।
7. परियोजना को उद्योग संबंधन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
8. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
9. कम्पनी वी शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम


से तथा आदेशानुसार


राज्यपाल

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
निरंतर

6M(J)

25.6.2019

पु.क्र. एफ 16 -14/2019/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 22/06/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्व विभाग ऊर्जा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, सागर संभाग, सागर।
5. कलेक्टर, ज़िला दमोह।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पॉरेशन लि, भोपाल।
7. आथेराइज़ड सिनेटरी, मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि., Corporate Office, "Coromandel Towers" 93, Santhome High Road Karpagam Avenue, RA Puram, Chennai - 600028
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग